भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (सिविल) की कंडिका–3.3.2 (असमायोजित अग्रिम) से आच्छादित ग्रामीण कार्य विभाग में लंबित राशि 62,83,64,115/– में से 49.88 करोड़ समायोजित राशि, महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को 7.042 करोड़ रूपये का साक्ष्य सहित समायोजन हेतु भेजे गये अभिलेख, 4.252 करोड़ अग्रिम रखने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध दायर निलामवाद/प्राथमिकी एवं मृत कर्मियों के विरूद्ध 0.401 करोड़ लंबित अग्रिम के पश्चात् अवशेष राशि 1.265 करोड़ के समायोजन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5.01.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (सिविल) की कंडिका संख्या–3.3.2 असमायोजित अग्रिम के समायोजन के संबंध में विभिन्न कार्य प्रमंडलों से लंबित अग्रिम समायोजन से संबंधित प्राप्त साक्ष्य सहित प्रतिवेदन को समिति के निदेशानुसार सत्यता/परीक्षण की जाँच हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को पूर्व में प्रेषित की गयी थी। तदोपरांत वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, पटना ने अपने पत्रांक लो0ले0सं0/ग्रा0का0वि0/अनु0/22–23 /87J/125 दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनों का व्यक्तिवार सम्परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल असमायोजित अग्रिम की राशि 62.84 करोड़ के विरूद्ध 49. 88 करोड़ की राशि को समायोजित पाया गया। शेष 12.96 करोड़ असमायोजित राशि को भिन्न–भिन्न कारणों एवं साक्ष्य के अभाव में समायोजन हेतु लंबित दर्शाते हुए उक्त असमायोजित राशि की पूर्ण विवरणी परिशिष्ट–I–IV के अभ्युक्ति में अंकित कर निराकरण हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडलों से समायोजन संबंधी की गयी कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु दिनांक 25.11.2022 को मुख्यालय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी, जिसमें वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 6900 अनु0 दिनांक 02.12.2022 के द्वारा वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, लोक लेखा समिति, महालेखाकार का कार्यालय, बिहार पटना को कुल रूपये 7.042 करोड़ के राशि को समायोजन हेतु साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक 1402 अनु0 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा नीलामवाद/प्राथमिकी/मृत एवं पता अज्ञात रहने आदि कारणों के कारण समायोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने से संबंधित सूची सहित प्रतिवेदन विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त राशि के समायोजन के पश्चात् अवशेष राशि 1.265 करोड़ के समायोजन/वसूली हेतु संबंधित कार्य प्रमंडलो के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों पर दिनांक 15.09.2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में समीक्षा की गयी थी। प्रश्नगत कंडिका–3.3.2 (सिविल) में लंबित असमायोजित राशि के समायोजन एवं उसपर की गयी कार्रवाई हेतु निम्नलिखित कार्य प्रमंडल के साथ पुनः अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव के अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में समीक्षा की गयी, जो निम्नवत है :–

2. कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी

कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के अन्तर्गत कुल दो मामलें यथा–श्री उमाशंकर राम, कनीय अभियंता (दिनांक 31.12.2019 को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से सेवानिवृत) के विरूद्ध रू0 40,69,851/–(चालीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ इक्यावन) एवं श्री ओमप्रकाश

पासवान, कनीय अभियंता के विरूद्ध रू0 56,866.61/— (छप्पन हजार आठ सौ छियासठ रूपये इकसठ पैसा) मात्र लंबित है।

श्री राम के विरूद्ध लंबित राशि के समायोजन हेतु कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के पत्रांक 1855 दिनांक 10.09.2020, पत्रांक 1892 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, झंझारपुर का पत्रांक 1828 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा श्री राम के विरूद्ध लंबित राशि के समायोजन उनके सेवान्त लाभ में लंबित पावनाओं से करने हेतु उप सचिव से दिशा निदेश की मांग की गयी है।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के द्वारा उनके प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री पासवान के विरूद्ध लंबित राशि की वसूली/समायोजन उनके वेतन से किया जाता रहा है लेकिन मार्च 2015 के बाद में समायोजन की राशि आना बंद है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के पत्रांक 722 दिनांक 26.05.2018, पत्रांक 1174 दिनांक 08.09.2018, पत्रांक 1344 दिनांक 27.08.2019, पत्रांक 2383 दिनांक 31.12.2019, पत्रांक 1733 दिनांक 15.09.2022 एवं पत्रांक 1314 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा अग्रधन की राशि की वसूली के लिए पथ प्रमंडल, कटिहार से पत्राचार किया गया है, लेकिन समायोजन की राशि की वसूली हुई अथवा नहीं, का प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी द्वारा सूचित किया गया है कि श्री पासवान की मृत्यु हो चकी है। उक्त समीक्षात्मक बैठक में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि असमायोजित अग्रिम से संबंधित सभी मामलें को यथाशीघ्र निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को श्री पासवान की मृत्यु प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने का निदेश पुनः दिया गया है।

3. कार्य प्रमंडल, अरेराज

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, लोक लेखा समिति के पत्रांक 125 दिनांक 12.08.2022 के द्वारा कार्य प्रमंडल, अरेराज में पदस्थापित तदेन कनीय अभियंता श्री उमेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध कुल लंबित असमायोजित अग्रिम राशि 51091085/— में से समायोजन के पश्चात् रू0 55,24,557/—(पचपन लाख चौबीस हजार पाँच सौ सत्तावन) का अग्रिम लंबित दर्शाया गया है। प्रश्नगत राशि रू0 55,24,557/— में से अंतर राशि रू0 3445525/—का समायोजन कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा किये जाने का प्रतिवेदन पूर्व में दिया गया है किन्तु कैशबुक से संबंधित वाउचर संख्या की विवरणी के साथ प्रतिवेदित करने के लिए वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, लोक लेखा समिति के द्वारा की गयी है। श्री सिंह के विरूद्ध रू0 20,79,302/—(बीस लाख उनासी हजार तीन सौ दो) की वसूली हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा नीलामवाद दायर किया गया है जिसकी सूचना वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी को पूर्व में प्रेषित की गयी है।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरेराज को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर श्री सिंह से वसूली/समायोजित की गयी राशि रूपये 34,45,525/—(चौतीस लाख पैंतालिस हजार पॉच सौ पच्चीस) का प्रतिवेदन कैशबुक से संबंधित वाउचर की संख्या की विवरणी के साथ उपलब्ध करायेगें। इसके अतिरिक्त उनके प्रक्षेत्र में असमायोजित राशि की वसूली हेतु दायर नीलामवाद में नीलामवाद पदाधिकारी से सम्पर्क कर मामलें को यथाशीघ्र निष्पादित करने का प्रयास करेंगे।

4. कार्य प्रमंडल, हाजीपुर

कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत उक्त लंबित अवशेष राशि 1.265 करोड़ में से असमायोजित अग्रिम से संबंधित तीन मामलें लंबित है। श्री ए0के0 ठाकुर के उपर लंबित राशि 91076/–, श्री बी0पी0 सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 109940.24/– एवं श्री महेन्द्र पासवान, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 142399.70/– का समायोजन किया जा चुका है, किन्तु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, लोक लेखा समिति के पत्रांक 125 दिनांक 12.08.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त तीनों कर्मियों से की गयी वसूली/समायोजन के संदर्भ में चालान की प्रति संलग्न है परन्तु कैशबुक में यह राशि इन्द्राज होने की विवरणी नहीं है, के कारण समायोजित नहीं की जा सकी है।

अतः लंबित राशि के समायोजन/वसूली के संदर्भ में कैशबुक की प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष की प्रति एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता,कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को निदेश दिया गया है।

रामाधार चौधरी
(रामाधार चौधरी) 09-01-24
प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–10

09/1/24
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–01–01/2018 174 पटना, दिनांक 09/01/24

~~प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को~~ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को ई–मेल करना सुनिश्चित करेगें।

09/1/24
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–01–01/2018 174 पटना, दिनांक 09/01/24

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनपट्टी, अरेराज एवं हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आप सभी को निदेश दिया जाता है कि बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में अपने–अपने कार्य प्रमंडलों से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई कर एतद् संबंधी वांछित प्रतिवेदन तथा साथ ही जिन कर्मियों के विरूद्ध नीलामवाद/प्राथमिकी दर्ज है, की भी सूचना प्रतिवेदन से विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

09/1/24
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।